



थाना मुस्करा

दिनांक 22.10.2026

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 174/2026 धारा 109(1)/352/351(3)/3(5) BNS से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तारी करने के सम्बन्ध में।

घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.10.2026 को शाम करीब 08:30 बजे कस्बा मुस्करा के बिलगाँव रोड स्थित अंग्रेजी शराब ठेका नंबर-02 के सामने वादी भूपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी 4 थोक, कस्बा व थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर तथा उनके साथी चन्द्रशेखर के साथ गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना मुस्करा पर मु0अ0सं0 174/2026, धारा 109/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियुक्तगण 1. दीपक राजपूत पुत्र भवानीदीन उर्फ भिन्डरवाले, 2. गोलू महाराज पुत्र मोहन, निवासीगण ग्राम बसवारी, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।



पुलिस कार्यवाही-

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 22.10.2026 को थाना मुस्करा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई, जिसमें दो अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम 1. प्रियांशु राजपूत पुत्र संतोष कुमार (विवेचना के क्रम में प्रकाश में आने पर) तथा 2. दीपक राजपूत पुत्र भवानीदीन बताया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त प्रियांशु राजपूत के पास से ₹250/- बरामद हुए तथा अभियुक्त दीपक राजपूत से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दीपक राजपूत ने बताया कि दिनांक 18.10.2026 को बिलगाँव रोड स्थित अंग्रेजी शराब ठेका नंबर-02 के सामने हुए विवाद में प्रियांशु एवं गोलू महाराज के कहने पर उसने उक्त तमंचे से फायर किया था तथा बाद में तमंचे को ग्राम बसवारी के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। अभियुक्त दीपक राजपूत द्वारा तमंचा एवं कारतूस रखने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस अथवा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस संबंध में उसके विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रियांशु राजपूत पुत्र संतोष कुमार (उम्र करीब 23 वर्ष) निवासी ग्राम उपरौश मुहाल, ग्राम बसवारी थाना मुस्करा हमीरपुर।
2. दीपक राजपूत पुत्र भवानीदीन उर्फ भिन्डरवाले (उम्र करीब 26 वर्ष) निवासी बसवारी थाना मुस्करा हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

बसवारी तिराहा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व कुल 250 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 सुधीर कुमार (थाना मुस्करा)	उ0नि0 स्वदेश कुमार सिंह (थाना मुस्करा)	उ0नि0 के0डी0 त्रिपाठी (प्र0 सर्विलांस)	
का0 शुभम यादव (थाना मुस्करा)	का0 अंशुल कुमार (थाना मुस्करा)	हे0कां0 शिवेन्द्र सिंह (एस0ओ0जी0 टीम)	कां0 अतुल तिवारी
का0 दर्शन सिंह (थाना मुस्करा)	हे0का0 धर्मेन्द्र कुशवाहा (थाना मुस्करा)	कां0 अतुल यादव (एस0ओ0जी0 टीम)	(एस0ओ0जी0 टीम)